अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 195/2014

अपीलार्थी – मीना देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1292/प्रो0 दिनांक 28.5.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में हस्तांतरित होकर दायर किया गया है।

इस आँगनबाड़ी अपीलवाद में मामला यह है कि पिपरा परियोजना के आँगनबाड़ी केन्द्र सं0 –56 सोमन साह के घर के निकट दिनांक 04.10.2013 को 10:35 बजे दिन में महिला पर्यवेक्षिका पिपरा श्रीमती रंजीता कुमारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय केन्द्र पर 34 बच्चे सेविका के साथ उपस्थित थे, तथा वे बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा के साथ–साथ पोषाहार बनाने की तैयारी में भी जुटी हुई थी, जबकि केन्द्र की सहायिका श्रीमती मीना कुमारी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थी।

केन्द्र से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के आरोप में सहायिका से कार्यालय पत्रांक 965/प्रो0 दिनांक 22.2.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई, तथा उन्हें 28.02.2014 को उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देने हेतु निर्देश भी दिया गया। निर्धारित तिथि को सहायिका श्रीमती मीना देवी ने अपने स्पष्टीकरण में यह बताया कि निरीक्षण की तिथि को भी वे केन्द्र पर उपस्थित

थी, सेविका द्वारा केन्द्र पर उपस्थित 34 बच्चों के लिए जो मुझे कच्चा राशन दिया गया था, वह कम मात्रा में था जब मैं इस बात को सेविका के समक्ष रखा, तो सेविका बोली कि जितना दिया गया , उतना ही बनाकर बच्चों को खिलाओं इसी दौरान पर्यवेक्षिका महोदया भी आ गई। पर्यवेक्षिका द्वारा मुझे डांट कर कहा गया कि सेविका जैसा कहती है, वैसा ही काम करो, अन्यथा, चयन मुक्त करवा दुँगी। सेविका पर्यवेक्षिका की मिली भगत से मुझे दिनांक 04.10.2013 को अनुपस्थित दिखाया गया है।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि निरीक्षण की तिथि 04.10.2013 को सहायिका श्रीमती मीना देवी उपस्थित थी, एवं सेविका के साथ मिलकर पूरक पोषाहार योजना में अपनी भागीदारी निभा रही थी, किन्तु उन्हें जो पोषाहार बनाने के लिए कच्चा राशन साम्रगी दिया गया था, उसकी मात्रा लाभुक बच्चों जो उसी दिन 34 आए थे , उनके अनुपात में कम मात्रा में कच्चा अनाज था जिसका उन्होंने सेविका के समक्ष बातों को रखा। इसी दौरान पर्यवेक्षिका भी निरीक्षण हेतु आ गई पर्यवेक्षिका भी बोली कि जितना कच्चा राशन साम्रगी दिया गया है, उसी को बनाकर पोषाहार खिलाओं । सेविका/ पर्यवेक्षिका ने मिली–भगत कर के उस तिथि को सहायिका को अनुपस्थित बना दिया । अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि चयन मुक्ति आदेश दिनांक 28.02.2014 रूटीन मेनर (Routine manner) से लिया हुआ निर्णय है इसमें न्यायिक दृष्टि का उपयोग नहीं किया गया है। आदेश Presumption के आधार पर लिया गया है न कि इसमें Facts, का due verification किया गया है अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि विभागीय पारित आदेश 1998/2013 के अनुसार इसमें लाभुको के बयान भी लेनी चाहिए थी, कि सहायिका श्रीमती मीना देवी निरीक्षण तिथि को केन्द्र पर आई थी,या नहीं, जो नहीं किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि निरीक्षण पदाधिकारी के निरीक्षण तिथि 04.10.2013 को भी केन्द्र पर उपस्थित बच्चों की संख्या 34 के आधार पर निर्धारित मात्रा में 6.439 kg. पुलाव पूरक पोषाहार में दिया गया है जो निरीक्षण टिप्पणी में दर्ज है, तथा उसी निरीक्षण टिप्पणी में दर्ज है कि पोषाहार की गुणवता संतोषप्रद थी। इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि सहायिका अगर निरीक्षण तिथि को आई थी तो सर्व प्रथम आने पर अपनी उपस्थिति पंजी में उपस्थित तो बनाई होगी किन्तु अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उन्हें बताया कि सेविका दबंग किस्म

की महिला है, हाजिरी बनाने में भी रोक –टोक किया करती है, एवं हाजिरी बही बंद करके रखती है।

उपरोक्त सारे निष्कार्षो एवं विवेचनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष इस न्यायालय में सामने आया कि सेविका /सहायिका में आपसी मतभेद के कारण केन्द्र का संचालन में प्रतिकूल प्रभाव दिखता है। आपसी सामंजस्य की कमी है सेविका/सहायिका का कार्य/ दायित्व विभाग से आवंटित है, उन्हें उन्हीं कार्यों को करना है फिर आपसी मत भेद की बातें, सामंजस्य न होना , समझ के परे है।

अतः न्यायालय केन्द्र की पर्यवेक्षिका को निर्देश देती है कि आँगनबाड़ी केन्द्रो पर जाकर सेविका/सहायिका के बीच आपसी मत भेद/रंजिश के दुर करने का प्रयास करें सेविका को भी लाभुक के उपस्थिति के आधार पर निर्धारित मात्रा के कच्चा अनाज देकर पोषाहार खिलाने का दायित्व है यह काम सिर्फ सहायिका का ही नहीं है जहाँ सही ढ़ंग से ईमानदारी पूर्वक कार्य होगा तो मत भेद नहीं होगा।

अतः न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश C.W.J.C.No- 317/2014 के आलोक में – One days absence of an employee from her duty without leave is not such a grave charge that it may entail disengagement from her service. There fore punishment awarded to the petitioner is apparently too harse and shocking

उपरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षो के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश ज्ञापांक 1292/प्रो0 दिनांक 28.5.2014 पूर्णतः Routine manner में लिया गया निर्णय है इसमें न्यायिक दृष्टि का उपयोग न करके यांत्रिक दृष्टि से लिया गया निर्णय है। सहायिका निरीक्षण तिथि को आई या नहीं, इसका due verification नहीं कराया गया, सेविका/पर्यवेक्षिका के बयान पर ही निर्णय लिया गया कि सहायिका नहीं आई लाभुक वर्ग के तीन पंजीकृत बच्चों के माता पिता से बयान लिये जाने चाहिए न कि जहाँ केन्द्र संचालित है , उसमें मकान मालिक का बयान, वह तो सेविका के पक्ष में सदा बोलेगा एक तरफ ग्रामीण अखिलेश कुमार/अनिल कुमार ग्रामीण गवाही में लिखते हैं कि सहायिका नहीं आई थी, वहीं दुसरी तरफ पुनः अपना बयान बदल देते है कि मेरा हस्ताक्षर नहीं है,

फिर हस्ताक्षर सही है या गलत निष्कर्ष कर पाना कठिन कार्य है। ऐसे भी माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश में One days absence without leave में भी चयन मुक्त कार्रवाई को गलत ठहराया गया है। अगर कुछ समय के लिए यह माना भी जाय कि सहायिका उपस्थित नहीं थी तो कठोरतम दंड – चयन मुक्ति का आदेश देना सही नहीं है। खंडित करने योग्य है। केन्द्र खुला था, लाभुक बच्चें 34 उपस्थित थे पूरक शिक्षा/पोषाहार भी दिया गया था फिर कठोरतम दंड चयन मुक्ति का सही प्रतीत नहीं होता है। केन्द्र का संचालन सेविका/सहायिका के सामुहिक सहयोग से ही चलेगा, दोनों के आपसी सामंजस्य, मतैक्य से ही केन्द्र का संचालन समुचित ढ़गं से हो पायेगा एवं आपसी प्रेम बनाकर ही लाभुक बच्चों –माताओं तक सरकारी योजनाओं को लाभ दिया जा सकता है। सहायिका श्रीमती मीना देवी को आदेश निर्गत तिथि से सहायिका को अपने पद पर बरकरार रखा जाता है।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

27.2.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

27.2.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा